

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, मुंगेर, सीतामढ़ी, वैशाली, भोजपुर, मधुबनी एवं रोहतास।

पटना, दिनांक- 2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 14,77,38,000/- (चौदह करोड़ सतहत्तर लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 14,77,38,000/- (चौदह करोड़ सतहत्तर लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जायेगा।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

कृ०पृ०उ०

14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

1
24

सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, मुंगेर, सीतामढ़ी, वैशाली, भोजपुर, मधुबनी एवं रोहतास।

पटना, दिनांक- 2017

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 14,77,38,000/- (चौदह करोड़ सतहत्तर लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 14,77,38,000/- (चौदह करोड़ सतहत्तर लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि से ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत गठित कार्यालय हेतु भी वेतन सहित सभी मदों में व्यय किया जायेगा।
4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पॉचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

कृ०पृ०उ०

14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-03/2017 सा०-.....37..... -/

पटना, दिनांक-22-11- 2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना, मुंगेर, सीतामढ़ी, वैशाली, भोजपुर, मधुबनी एवं रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

↓
२०११

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन:-

क्र० सं०	जिला का नाम	पटना	मुंगेर	सीतामढ़ी	बैशाली	मोजपुर	मधुबनी	रोहतास	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेतन	285,00,000		100,00,000	100,00,000	59,00,000	100,00,000	98,00,000	742,00,000
2	विशेष वेतन	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
3	जीवन यापन भत्ता	150,00,000	0	80,00,000	40,00,000	97,00,000	150,00,000	11,25,000	528,25,000
4	मकान किराया भत्ता	20,00,000	0	10,00,000	20,00,000	8,00,000	10,00,000	2,00,000	70,00,000
5	परिवहन भत्ता	0	0	0	0	0	1,00,000	0	1,00,000
6	चिकित्सा भत्ता	0	0	5,00,000	5,00,000	85,000	5,00,000	0	15,85,000
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,00,000	0	0	0	0	0	0	8,00,000
8	यात्रा व्यय	2,00,000	0	0	0	1,00,000	0	0	3,00,000
9	कार्यालय व्यय	10,00,000	0	0	0	8,00,000	0	0	18,00,000
10	वा० का ई० एवं रख-रखाव	10,00,000	0	0	0	5,00,000	0	0	15,00,000
11	दूरभाष व्यय	0	0	0	0	2,00,000	0	0	2,00,000
12	भाडे की गाड़ी का भुगतान	0	3,00,000	0	0	3,00,000	0	0	6,00,000
13	विद्युत प्रभार	22,00,000	0	0	0	1,20,000	0	0	23,20,000
14	वर्दी / पोशाक	3,00,000	0	0	0	70,000	0	0	3,70,000
15	किराया, महसूल कर	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
16	संविदा सेवार्	34,00,000		2,00,000	0	5,00,000	0	0	41,00,000
	कुल	544,00,000	3,00,000	197,00,000	165,00,000	190,95,000	266,00,000	111,43,000	1477,38,000

(चौदह करोड़ सतहत्तर लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग